न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 38 / 2014

उनवान

1. श्रीमती लाली पुत्री भैरू नायक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मु0 राजी पत्नी कन्हैया लाल धाकड निवासी धाकडों का मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाडा ..वादिया / प्रत्यर्थी
2. गोपाल पुत्र भैरू नायक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. पन्ना आत्मज श्री जुवारा नायक निवासी शाहपुरा हाल देवरिया बालाजी के पीछे, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 240 / 2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.5.2013

अभिभाषक : 1. श्री शोभागमल कुमावत , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री लादू लाल जाट अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2

आदेश

दिनांक 25.10.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के खाते कब्जेकाष्त की आराजियात पटवार हल्का शाहपुरा में आराजी संख्या 3963, 3964, 3965 कुल किता 3 रकबा 1.19 हैक्क्टेयर है। 3965 के अलावा उपरोक्त दोनों आराजियात पर वादिया का कब्जाकाष्त है व 3965 के 0.42 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 काबिज है। पत्थरगढी मुकदमा नम्बर 9/11 निर्णय दिनांक 25.1.2011 के आदेष की पालना में पत्थरगढी दिनांक 17.6.2011 को की गई । पत्थरगढी के आधार पर चारों दिषाओं में पत्थर गाढे गये जिसमें आराजी नम्बर 3965 में कब्जा प्रतिवादीगण का निकला जो अवैध रूप से होकर गैर कानूनी है। जिनको बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाना कानूनन आवष्यक है। मौका पर्चा पत्थरगढी की नकल संलग्न है। अतः वादिया के पक्ष मे व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध आराजीनम्बर 3965 रकबा 0.42 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादिया को कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र आंषिक रूप सें स्वीकार कर ग्राम शाहपुरा स्थित आराजी नम्बर 3965 रकबा 0.42 हेक्टेयर एवं प्रतिवादी की आराजी जो इस आराजी से लगी हुई है निषादेही की जाकर अगर वादिया की खातेदारी का रकबा प्रतिवादीगण के अतिक्रमण में पाई जावे तो उससे बेदखल कर वादिया को कब्जा संभलाया जाने का आदेष पारित किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी । जब अपीलार्थीया के कब्जे में प्रत्यर्थी /वादिया द्वारा दखलन्दाजी पैदा की गई तब जाकर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । तब जाकर अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया।

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीया/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया की आराजी नम्बर 3965 रकबा 0.42 हेक्टेयर में प्रतिवादीगण एक से तीन ने नाजायज कब्जा कर लिया है एवं इस बाबत पत्थरगढी भी की गई जिसमें भी प्रतिवादीगण का कब्जा वादिया की वादग्रस्त आराजी नम्बर 3965 के रकबा 0.42 हेक्टेयर में पाया गया था। अतः प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटाया जाकर वादिया को कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होने के बाद प्रतिवादिया/अपीलार्थीया को सम्मन की प्रोपर तामिल नहीं कराई गई एवं अपीलार्थीया/प्रतिवादिया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित करते हुए दिनांक 31.5.2013 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया । अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस

सम्मन की वादिया पर प्रोपर तामिल नहीं हुई एवं अपीलार्थीया के पिता को यदि सम्मन की तामिल कराई गई हो तो भी अपीलार्थीया के पिता द्वारा अपीलार्थीया को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जानकारी नहीं होने से अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी। जिससे उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया ने यह तथ्य अंकित नहीं किया कि किस प्रतिवादी का किस रकबे पर कितना–कितना कब्जा कर रखा है। वादिया ने कब्जा हटाने के लिए प्रतिवादी को कब कहा व किस प्रतिवादी ने कब्जा हटाने के लिए मना किया इस बाबत कोई अंकन वादिया द्वारा वाद पत्र में नहीं किया गया है। वादिया द्वारा यह भी वाद पत्र में अंकन नहीं किया गया कि बिनायवाद कब पैदा हुआ था।

6. अधिवक्ता अपीलार्थीया का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया का यह कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3965 रकबा 0.42 हेक्टेयर पर प्रतिवादिया का नाजायज कब्जा रहा है जबकि वादग्रस्त आराजी के लगती हुई आराजी नम्बर 3990 प्रतिवादिया ने दिनांक 15.5.2001 को तत्कालीन खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । तब से अपीलार्थीया का कब्जा लगातार चला आ रहा है। यदि अपीलार्थीया/प्रतिवादिया का वादग्रस्त आराजी के भू भाग पर अपीलार्थीया का नाजायज कब्जा मान भी लिया जावे तो यह कब्जा पिछले 14 वर्षो से लगातार चला आ रहा है इस आधार पर

अपीलार्थीया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वतः ही वादग्रस्त आराजी की खातेदार हो चुकी है।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीया का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया द्वारा आराजी नम्बर 3990 को क्रय करने के 12 वर्षों के बाद वादिया द्वारा दीगर प्रतिवादीगण के वर्षो से कब्जेसुदा भूमि को रेस्पोडेण्ट/वादिया द्वारा अतिक्रमण बताकर कब्जेयाबी का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि कब्जेयाबी के वाद की मियाद 12 वर्ष की है जबकि अपीलार्थीया का कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादिया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामिल प्रतिवादीगण पर हो चुकी थी। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलार्थीया/प्रतिवादिया के पिता भैरू नायक ने प्राप्त किये थे। जिस पर प्रतिवादी गोपाल ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति देकर जवाब दावा भी प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति मे यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थीया/प्रतिवादी को सम्मन/नोटिस की जानकारी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादिया का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा था

इस तथ्य की पुष्टि पत्थरगढी के आदेष की पालना में बनाई गई मौका रिपोर्ट से होती है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 3965 वादिया के खातेदारी की आराजी है। जिस पर से कब्जा हटाया जाकर वादिया को कब्जा दिलाये जाने का जो आदेष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है के प्रति न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादिया/प्रत्यर्थीया ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3965 रकबा 0.42 हेक्टेयर पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने का कथन करते हुए कब्जेयाबी का वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अपीलार्थीया का कथन है कि उसे नोटिस की प्रोपर रूप से तामिल नहीं हुई थी जिससे उसे जानकारी नहीं हुई एवं उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया । पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी गोपाल के सम्मन उनके पिता भैरू नायक को दिये गये । दिनांक 4.11.11 को

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत हुई। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गोपाल ने न्यायालय में उपस्थिति दी तथा अपना पक्ष रखा। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थीया/लाली/प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नहीं हुई हो।

12. वादिया द्वारा पूर्व में पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 17.6.2011 को रिपोर्ट बनाई गई जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3965 रकबा 0.42 हैक्टैयर में गोपाल नायक एवं पन्ना नायक का कब्जा पाया गया था एवं इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया जावे तो उसको बेदखल कर वादिया का कब्जा संभलाया जाने का आदेष किया गया।

13. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के किस भू भाग पर कितना–कितना कब्जा कौन–कौनसे प्रतिवादीगण का है यह साबित नहीं हुआ है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने मौका पर्चा दिनांक 11.10.2013 प्रस्तुत किया । जिसका अवलोकन करने से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3965 के आंषिक भाग पर लाली पुत्री भैरू/अपीलार्थीया एवं गोपाल पिता भैरू का कब्जा पाया गया । जिन्हें बेदखल कर कब्जा वादिया/रेस्पोडेण्ट /राजी पत्नि कन्हैया लाल को दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीया

द्वारा अपील मात्र समय व्यतीत करने की नियत से पेष की गई है।

14. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.5.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 38 / 2014

उनवान

1. श्रीमती लाली पुत्री भैरू नायक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा अपीलार्थीया

बनाम

1. मु0 राजी पत्नी कन्हैया लाल धाकड निवासी धाकडों का मोहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाडा ..वादिया / प्रत्यर्थी
2. गोपाल पुत्र भैरू नायक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. पन्ना आत्मज श्री जुवारा नायक निवासी शाहपुरा हाल देवरिया बालाजी के पीछे, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण
संख्या 240 / 2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.5.2013

अपील में डिक्री

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 38 / 2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेष की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 25.10.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री शोभागमल कुमावत वकील एवं प्रत्यर्थी सख्या 1 की ओर से श्री जे सी दाधीच की उपस्थिति मे दिनांक 25.10.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेष दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.5.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस